स्टाम्प पुनरी. प्र. क. 1/2016
प्रस्तुति दिनांक 15-9-16

माननीय न्यायालय मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी, ग्वालियर म.प्र.

नि0 - 7198 - PBR 16

1. श्री पन्नालाल (पंकज) पिता स्व. श्री हीरालाल वर्मा
2. श्रीमती सरला पति श्री पन्नालाल (पंकज) वर्मा
दोनों निवासी – 14, अयोध्या नगरी, स्टेडियम ग्राउण्ड
जनता क्वार्टर इंदौर

......पुनरीक्षणकर्तागण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री अनिल ....
प्रार्थी / अभिभाषक द्वारा दिनांक 15-9-20
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, इंदौर
2. श्री रामगोपाल पिता श्री हीरालाल वर्मा
3. श्री पन्नालाल पिता श्री हीरालाल वर्मा
संयुक्त पता 220 / 3, सर्वहारा नगर इंदौर म.प्र.
तर्फे आम मुखत्यार श्री मोहीनुद्दीन पिता श्री नजीर एहमद
निवासी 310, गफ्फार की चाल, पाटनीपुरा, इंदौर

716/15-09-2016

CF 18.10.16

......प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 56 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम तथा म.प्र. लिखितों का न्यून मूल्यांकन निवारण अधिनियम 1975

18.10.16

उपरोक्त प्रकरण में पुनरीक्षणकर्तागण की की ओर से निवेदन है कि :–

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा रेस्पोंडेंट कमांक 1 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला उप पंजीयक इंदौर के द्वारा प्रकरण कमांक 81 / बी–103 / 2012–13 / 48–ख में पारित आदेश दिनांक 11.03.2014 को विकय पत्र का मूल्यांकन बाजार मूल्य से अधिक करके आदेश पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध पारित किया गया है जिसकी सूचना पुनरीक्षणकर्तागण को दिनांक 24.12.2014 को प्राप्त हुई पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, इंदौर के समक्ष त्रुटिवश अपील प्रस्तुत कर दी थी किंतु सदर आदेश 48–ख भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत पारित हुआ होने से सदर प्रकरण न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय इंदौर को श्रवणाधिकार क्षेत्र नही होने से सदर प्रकरण दिनांक 14.06.16 को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपील वापस प्राप्त करने का निवेदन किया होकर सदर प्रकरण दिनांक 27.06.16 को वापस प्राप्त कर सदर न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.06.16 को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7198–पीबीआर/16 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–10–2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं समय–सीमा के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 11–3–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18–10–2016 को लगभग ढाई वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की के विद्वान अभिभाषक द्वारा विलम्ब का कारण त्रुटिवश अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना दर्शाया गया है । आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दिनांक 27–6–2016 को अपील आवेदन पत्र आवेदकगण को वापिस किया गया है, और उनके द्वारा उसके पश्चात भी दिनांक 18–10–2016 को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि निगरानी प्रस्तुत करने में पूर्व में ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका था । ऐसी स्थिति में उन्हें आयुक्त से अपील मेमों वापिस प्राप्त होने के पश्चात तत्काल अविलम्ब निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था, अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य मानते हुए अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	